

शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा-444/2016-17/17

लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2017

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-रा0स्वा0बी0यो0/पत्रा-444/2016-17/42 दिनांक 12 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी/फैमली पेंशन धारक) तथा उनके आश्रितों (जैसाकि नियमावली-2011 में बिन्दु संख्या-3(ख) में वर्णित है) को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों के इलाज हेतु अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में यह अनुरोध किया गया था कि अपने विभाग के समस्त डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 का वेबसाइट-www.uphealth.up.nic.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरते हुए योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये तथा सभी पंजीकृत डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/पेंशनधारकों के आवेदन पत्र सत्यापित करते हुए "स्टेट हेल्थ कार्ड" उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु नई वेबसाइट-www.upsects.in प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर योजना से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 दिसम्बर, 2016-उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 उपलब्ध है। इसके साथ ही वेबसाइट पर योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण बिन्दु तथा लक्षित लाभार्थियों को स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया का बिन्दुवार उल्लेख है।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दिनांक 01 मई, 2017 से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि उक्त तिथि से पूर्व सभी लक्षित लाभार्थियों को स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध हो जाये। इस कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु वेबसाइट के "होमपेज" पर "DDO Registration" एवं "Employee Gateway" लिंक पर उपलब्ध आवेदन पत्रों के प्रारूप एवं दिशा-निर्देश के अनुसार सभी विभागों के DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तथा राज्य कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसी प्रकार सभी जनपदों के STO (वरिष्ठ कोषाधिकारी) तथा पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी/फैमली पेंशनधारक) का पंजीकरण समयान्तर्गत अनिवार्य है। डी0डी0ओ0 एवं कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया का बिन्दुवार विवरण इस पत्र के साथ आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

